

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 229/2022

अनवान :

1. सदीक मौहम्मद पुत्र नजरु जाति नीलगर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
2. शरीफ खां पुत्र चान्दू खां जाति नीलगर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

:— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
2. रफीक मौहम्मद पुत्र नजरु जाति नीलगर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
3. ईदा पत्नि मुमताज जाति नीलगर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
4. हसन खान } पुत्रान मुमताज जाति नीलगर
5. ऊसेना } निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
6. अजरुदीन } पि० चिरागदीन
7. नूरजा } जाति नीलगर
8. रूकशाना } निवासी अनूपशहर
9. रजाक } तहसील भादरा।
10. जमीला पत्नी चिरागदीन जाति नीलगर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
11. निवाज मौहम्मद } पिसरान शेर मोहम्मद
12. सुबे दौलत } जाति नीलगर
13. सलीम खान } निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
14. शबनम वानो }
15. प्रेम कंवर पत्नी भूपसिंह जाति राजपूत निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
16. मदनलाल पुत्र हरचन्द जाति महाजन निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
17. युसुफ } पुत्रान रमजान जाति तेली
18. याकुब } निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
19. सराजू }
20. हरदेवसहाय पुत्र बीरबल जाति मेघवाल निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
21. हरीराम दतक पुत्र मघराज जाति महाजन निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण




आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बैरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतबीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक प्रतिनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं० 327/325 के खसरा सं० 498 की 0.1010 है०, ख० सं० 534 की 3.6300 है०, खसरा सं० 538 की 1.6440 है०, खसरा सं० 539 की 1.7070 है०, कुल खसरा 4 की 7.0820 है० बारानी वादभूमि में वादी सं० 1 सदीक मौहम्मद व प्रतिवादी सं० 2 रफीक मोहम्मद सयुक्त रूप से 2.074 है० वहिस्सा बराबर, वादी सं० 2 शरीफ खां 1.163 है०, ईदा, हसन खां, उसेना प्रतिवादी सं० 3 ता 5 सयुक्त रूप से 1.163 है० वहिस्सा बराबर, अजरुदीन, नूरजा, रूकशाना, रजाक, जमीला प्रतिवादी सं० 6 ता 10 की 0.956 है० संयुक्त रूप से वहिस्सा बराबर, निवाज मोहम्मद, सुयेदोलत, सलीम खान, शबनम वानो प्रतिवादी सं० 11 ता 14 सयुक्त रूप से 0.956 है०

बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सं० 15 प्रेमकंवर 0.021 है०, प्रतिवादी सं० 16 मदनलाल 0.232 है०, युसुफ, याकुब, सराजु प्रतिवादी सं० 17 ता 19 रमजान तेली के वारीसान 0.151 है०, प्रतिवादी सं० 20 हरदेवसहाय 0.265 है० प्रतिवादी सं. 21 हरीराम को 0.101 है० खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई। .




(शकुन्ला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलेक्टर (व्यवसायिक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़